राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड

घरेलु रूफटॉप सोलर योजना (सार्वजनिक सूचना)

भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर अपनी बिजली बनाने हेतु रूफटॉप सोलर योजना (Phase-II) चलाई जा रही है जिसके तहत पहले 3 kW तक 40% अनुदान राशि और उसके बाद 3 kW से 10 kW के लिए 20% अनुदान राशि मंत्रालय द्वारा दी जा रही है। पूर्व में यह योजना राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा संचालित की जा रही थी। इसके अन्तर्गत घरेलू उपभोक्ताओं से दिनांक 10.09.2021 तक ऑनलाईन आवेदन निगम की वेबसाईट पर प्राप्त किये गए थे। वर्तमान में योजना का क्रियान्वयन राज्य के वितरण निगमो द्वारा किया जा रहा है। इस हेतु अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा निविदा प्रक्रिया की जा रही है इसके पश्चात यह योजना सम्बन्धित वितरण निगम (यथा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) द्वारा संचालित की जायेगी।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के ध्यान में लाया गया है कि कुछ रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने वाली कंपनियां / वेंडर्स (vendors) स्वयं को अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा वर्तमान में प्राधिकृत (Registered) वेंडर्स बताकर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जा रहे है। इस बारे में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा घरेलु क्षेत्र में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने हेतु वर्तमान में कोई भी वेंडर अधिकृत नहीं है।

आज्ञा से
निदेशक (तकनीकी)